नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 1986

का. नि. आ. 291:—कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 94-क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त अधिनियम की धारा 280 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार अधिसूचना को भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के का. नि. आदेश संख्या 114 दिनांक 25-2-1986 के अन्तर्गत भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड-4 दिनांक 15 मार्च, 1986 को प्रकाशित किया गया था, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से आपत्तियां व सुझाव इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति तक मांगी गई थी। जिनके इससे प्रभावित होने की संभावनाएं थी।

20 मार्च, 1986 को उक्त राजपत्र सभी लोगों को उपलब्ध करा दिया गया था।

अनुबद्ध अवधि तक किसी भी प्रकार की आपत्तियां या सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

अब अतः उक्त अधिनियम के खण्ड 94-क के उप खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट निष्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाती है।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी (स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय के लिए वारंट निष्पादन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :—

(क) "अधिनियम" से छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रारूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "स्थावर सम्पत्ति" से वह अभिप्रेत है जो सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 (1882 का 4) में परिभाषित है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो उस अधिनियम में हैं।

3. विक्रय-कार्यवाही का प्रारंभ—जहां अधिनियम की धारा 94-क के किसी आदेश द्वारा कोई स्थावर सम्पत्ति कुर्क की गई है, वहां कार्यपालक अधिकारी, कुर्की की तारीख से पन्द्रह दिन की समाप्ति पर, विक्रय द्वारा इस प्रकार कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति से व्ययन के लिए कार्यवाही करेंगे।

4. लोक निलामी द्वारा विक्रय करना—कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति या उसके पर्याप्त भाग (यदि वह विभाज्य है) यदि उसे सुविधापूर्वक पृथक किया जा सकता है, का प्रत्येक विक्रय कार्यपालक अधिकारी के आदेश से लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा। किसी स्थावर सम्पत्ति को सुविधापूर्वक पृथक किया जा सकता या नहीं, इसका विनिश्चय बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से कार्यपालक अधिकारी करेगा।

5. विक्रय की सूचना—(1) इन नियमों के अधीन लोक नीलामी द्वारा प्रत्येक आशयित विक्रय की सूचना, विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति की प्रकृति और मूल्य को ध्यान में रखते हुए और जितनी भी बार कार्यपालक अधिकारी निदेश दें ऐसे रजिस्ट्रीकृत समाचारपत्र में, जो स्थानीय क्षेत्रों में परिपालन में प्रकाशित की जाएगी।

(2) सूचना में विक्रय की तारीख, समय और स्थान विनिर्दिष्ट होगा और इसमें सम्पत्ति का विवरण और विशिष्टियां होंगी।

6. विक्रय की शर्तें—कार्यपालक अधिकारी, एक आरक्षित बोली नियत करेगा, जो विक्रय से पूर्व या विक्रय के समय या उसके पश्चात् किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी। प्रत्येक विक्रय को ऐसी शर्तों विनयमित किया जाएगा जो साधारणतः प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुरूप होंगी। उससे होने वाला कोई विचलन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा और निदेशक द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किया जाएगा। सूचना और प्ररूप 1 में विनिर्दिष्ट विक्रय की शर्तों की एक प्रति सम्पत्ति के सहजदृश्य भाग पर और छावनी बोर्ड के कार्यालय के सहज दृश्य भाग पर और जहां सम्पत्ति ऐसी भूमि है जिस पर सरकार को राजस्व दिया जा रहा है वहां उस जिले के कलक्टर के कार्यालय में भी, जहां भूमि स्थित है और ऐसे अन्य स्थानों पर, जिन्हें बोर्ड निर्दिष्ट करे, लगाई जाएगी।

7. विक्रय की मुल्तवी —यदि कोई बोली नहीं होती है या सबसे ऊंची बोली आरक्षित कीमत से कम होती है तो कार्यपालक अधिकारी विक्रय को मुल्तवी कर देगा।

8. निक्षेप तत्काल किया जाएगा—यदि निक्षिप्त की जाने वाली रकम तुरन्त संदत्त नहीं की जाती है या कार्यपालक अधिकारी के पास निक्षिप्त नहीं की जाती है तो उस व्यक्ति को बोली, जिसे अन्यथा क्रेता घोषित किया जाता, नामंजूर कर दी जाएगी और सम्पत्ति को तुरन्त विक्रय के लिए फिर रखा जाएगा।

9. बोली आरक्षित कीमत से कम होने पर कब स्वीकृत की जा सकती है:—कार्यपालक अधिकारी, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और निदेशक के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसी बोली को स्वीकार कर सकेगा, जो आरक्षित कीमत से कम है।

10. विक्रय के आगम को उपयोजन—कार्यपालक अधिकारी विक्रय के आगम या उसके किसी भाग का उपयोजन वहां करेगा जहां देय राशि के उन्मोचन और वसूली के खर्चे के लिए अपेक्षित होगी। विक्रय और स्थावर सम्पत्ति को कुर्की के लिए फीस, यदि कोई हो, की भी वसूली के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।

11. अधिशेष रकम किस प्रकार वापस की जाएगी—अधिशेष रकम, यदि कोई हो, तत्काल छावनी निधि में जमा की जाएगी और उसकी विक्रय की तारीख से छह मास के भीतर कार्यपालक अधिकारी को लिखित आवेदन देकर दावा किया जाएगा और उसका प्रतिदाय उस व्यक्ति को किया जाएगा जिसके कब्जे में कुर्की के समय सम्पत्ति होगी ऐसी अधिशेष रकम जिसका दावा पूर्वोक्त छह मास के भीतर नहीं किया जाएगा, बोर्ड की सम्पत्ति हो जाएगी।

12. वारंट का निलम्बन—कार्यपालक अधिकारी, वारंट को उस दशा में निलम्बित या रद्द कर सकेगा, जहां उसका यह समाधान हो गया है कि ऐसा निलम्बन मामले की परिस्थितियों द्वारा आवश्यक है या जहां देय राशि और अधिनियम की धारा 94क (4) में विहित वसूली के खर्चे व्यतिक्रमी द्वारा संदत्त कर दिए गए हैं।

13. विक्रय की गई सम्पत्ति से बेदखली कार्यपालक अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अधिनियम की धारा 94क की उपधारा (5) के अनुसरण में की गई किसी कार्रवाई में बाधा डालता है, स्थावर सम्पत्ति से बेदखल करा सकेगा और ऐसे बल का भी प्रयोग कर सकेगा जो उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो।

14. फीस प्रभारित करना—जारी किए गए प्रत्येक वारन्ट या की गई कुर्की के लिए फीस, ऐसी दरों से जो 500 रु. से कम और 1000 रु. से अधिक नहीं होगी, जिसे बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, प्रभारित की जाएगी और ऐसी फीस को वसूली के खर्चे में सम्मिलित किया जाएगा।

15. फीस के माफी—बोर्ड स्वविवेकानुसार नियम 14 के अधीन प्रभार्य सम्पूर्ण फीस या उसके भाग को माफ कर सकेगा।

16. सम्पत्ति पर दावा प्रस्तुत करने की रीति—किसी कर का संदाय करने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति, जिसका कुर्क की गई सम्पत्ति की बाबत कोई दावा है, कार्यपालक अधिकारी को लिखित में दावा प्रस्तुत कर सकेगा।

17. निष्पादन का निलम्बन —कार्यपालक अधिकारी, दावा प्राप्त होने पर, दावे की जांच होने तक वारन्ट का निष्पादन निलम्बित कर देगा।

18. निपटारा की रीति—(1) कार्यपालक अधिकारी, किसी कर के संदाय के लिए दायी व्यक्ति को, दावे की एक प्रति देगा और उसे उसी समय एक लिखित सूचना देगा, जिसमें उससे अपना उत्तर, यदि कोई है, ऐसी सूचना के तामील होने के सात दिन के भीतर, देने की अपेक्षा करेगा।

(2) कार्यपालक अधिकारी, उत्तर, यदि कोई हो, प्राप्त होने पर और दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात दावे के संबंध में आदेश पारित करेगा जो अन्तिम होगा।

(3) सुनवाई के समय, पक्षकार स्वयं या काउन्सल के माध्यम से व्यपदेशन कर सकेगा।

(4) यदि दावा, कार्यपालक अधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाता है, तो विक्रय की कार्यवाही उसके द्वारा पारित आदेश के अधीन रहते हुए होगी, परन्तु कार्यपालक अधिकारी, स्वविवेकानुसार, विक्रय की कार्यवाही के बजाय सम्पत्ति को कुर्की से निर्मुक्त कर सकेगा।

(5) यदि कार्यपालक अधिकारी दावे को नामंजूर कर देता है तो वह अधिनियम में और इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की कार्यवाही करेगा।

(6) कार्यपालक अधिकारी के किसी दावे को स्वीकार करने वाले आदेश में किसी बात से कुर्क की गई स्थावर सम्पत्ति में दावेदार को कोई अधिकार, हक या हित प्रदान किया गया नहीं समझा जाएगा।

प्रपत्र सं. 1

स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की शर्तें

1. सम्पत्ति विक्रय के लिए ऐसी राशि पर रखी जाएगी जो कार्यपालक अधिकारी विक्रय के समय नियत करे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति क्रेता होगा। यदि सम्पत्ति के लिए अन्तिम या सबसे ऊंची बोली के विषय में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी पहली बोली फिर लगाई जाएगी और उसकी फिर विक्रय किया जाएगा।

2. कोई भी व्यक्ति किसी बोली पर उतनी राशि से कम का अग्रिम नहीं देगा जितनी कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियत की जाए या बोली वापस नहीं लेगा।

3. विक्रय ऐसी आरक्षित बोली के अधीन रहते हुए होगा जो कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियत की जाएगी।

4. क्रेता विक्रय के समय, अपनी बोली के लिए बोली पत्र पर अपना नाम और पता लिखेगा और ऐसे पते पर क्रेता के लिए छोड़ी गई सभी लिखित सूचनाएं तथा संसूचनाएं उसे सम्यक रूप से परिदत्त और तामील की गई समझी जाएगी, जब तक कि उसका प्रतिनिधित्व किसी एटर्नी या अधिवक्ता द्वारा न किया गया हो।

5. क्रेता विक्रय के समय अपने विक्रय धन की रकम पर पच्चीस प्रतिशत का निक्षेप कार्यपालक अधिकारी को संदाय करेगा अन्यथा सम्पत्ति को उसी समय पुन: विक्रय के लिए रखा जाएगा और उसका पुन विक्रय कर दिया जाएगा।

6. क्रेता, विक्रय के दिन से एक कलैण्डर मास के भीतर, अपने क्रय धन की रकम (निक्षेप के रूप में संदत्त रकम की कटौती करने के पश्चात) का संदाय कार्यपालक अधिकारी को करेगा यदि वह इस प्रकार संदत्त नहीं की जाती है, तो क्रेता अपने क्रय धन पर, विक्रय के दिन से एक कलैण्डर मास (या ऐसी लम्बी अवधि, जो अनुज्ञात की जाए) की समाप्ति से उस दिन तक जिसको उसका वस्तुत: संदाय कर दिया जाता है, 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का संदाय करेगा।

7. पूर्वोक्त रीति से क्रय धन का संदाय करने पर, क्रेता उस सम्पत्ति (के ऐसे भागों का) (जो खाली है), के कब्जे का और ऐसे संदाय के दिन से उन भागों के भाटक और उनसे होने वाले लाभों का हकदार हो जाएगा।

8. क्रेता, क्रय धन के संदाय के दिन से पूर्व के किन्ही व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगी और भाटक तथा व्यय, यदि आवश्यक हुआ तो, क्रेता और कार्यपालक अधिकारी के बीच प्रभाजित किए जाएंगे। सम्पत्ति के लिए क्रय धन का संदाय कर दिए जाने पर, क्रेता अपने व्यय पर ऐसे कदम उठाएगा जो उक्त सम्पत्ति के क्रय या कब्जा करने के लिए आवश्यक हो और कार्यपालक अधिकारी उसे इस आशय का एक प्रमाण पत्र देगा कि उसने वह सम्पत्ति, क्रय की है जिससे यह प्रमाण-पत्र सम्बन्धित है। ऐसे प्रमाण-पत्र उस स्टाम शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस क्रेता देगा।

9. यह विश्वास किया जाता है कि सम्पत्ति का विवरण सही है और उसे सही समझा जाएगा यदि सम्पत्ति की विशिष्टियों या विवरण में कोई गलती या अयथार्थ कथन या लोप किए जाने का पता चलेगा तो ऐसी गलती या अयथार्थ कथन या लोप से न तो विक्रय निष्प्रभाव होगा, न ही क्रेता को उसके क्रय से उन्मोचित किया जाएगा, और न ही उसकी बाबत क्रेता को कोई प्रतिकर किया जाएगा।

10. उक्त सम्पत्ति की बाबत सम्पत्ति कर राज्य सरकार को देय भू-राजस्व, यदि कोई हो के पूर्व संदाय के अधीन रहते हुए उक्त सम्पत्ति पर प्रथम प्रभार होंगे।

11. क्रेता से, विक्रय के लिए रखी गई सम्पत्ति का हक प्रस्तुत करने या उसकी बाबत अन्वेषण करने या कोई आक्षेप या अध्यपेक्षा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी बल्कि वह यह मानेगा कि सम्पत्ति के स्वामी को उक्त सम्पत्ति में उस समय वैध अधिकार और हक था।

12. सम्पत्ति, विद्यमान अभिधृतियों और उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सभी अधिकारों और सुखाचारों, यदि कोई हों, और उक्त सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रभार की सभी सूचनाओं के अधीन रहते हुए, विक्रय की गई है। कार्यपालक अधिकारी को उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी ऐसे अधिकारी या सुखाचार के बारे में पता नहीं है।

13. उक्त सम्पत्ति, अग्नि या अन्यथा के बारे में क्रेता की जोखिम पर उस क्षण से होगी जब उसकी बोली उसके पक्ष में खत्म हो जाती है।

14. यदि क्रेता ऊपर विनिर्दिष्ट समय पर या किसी ऐसे अन्य समय पर, जो कार्यपालक अधिकारी नियत करे, अपने क्रय धन का संदाय नहीं करेगा, तो निक्षेप के रूप में संदत्त रकम बोर्ड को समपहृत हो जाएगी और कार्यपालक अधिकारी सम्पत्ति का पुन: विक्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रपत्र सं. 2

(बोली—पत्र का प्ररूप)

संदर्भ ————वाली सम्पत्ति की नीलामी विक्रय

वार्ड सं.
गली सं.
स्थान

मैंने, जिसका नाम इसमें इसके नीचे लिखा हुआ है, तारीख को नीलामी द्वारा विक्रय में अपने नाम के सामने लिखी गई राशि के लिए बोली लगाई और ऐसे विक्रय के समय प्रस्तुत की गई शर्तों के अधीन रहते हुए, ऐसे विक्रय की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उपर्युक्त सम्पत्ति का क्रेता हो गया :

सबसे ऊंची बोली की रकम	प्राप्त निक्षेप की रकम	शोध्य रह	क्रेता के हस्ताक्षर	क्रेता का पता और वर्णन
1	2	3	4	5

[फाईल सं. 53/9/छा. भू. व छा. /84/3512डी. क्यू. एण्ड सी]
करतार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 3rd September, 1986

S.R.O. 291.—Whereas a draft of certain rules which the Central Government propose to make in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 94-A of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924) as required by sub-section (1) of section 280 of the said Act was published with the notification of Government of India in the Miinstry of Defence S.R.O. No. 114, dated 25-2-1986, in the Gazette of India, Part II Section 4, dated the 15th March, 1986 inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of sixty days from the date of publication of the said Notification;

Whereas the aforesaid Gazette was made available to the public on the 20th March, 1986;

Whereas no objection or suggestion was received within the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 94-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules relating to exection of warrants for attachment and sale for immovable property.—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Cantonments (Execution of Warrants for the Attachment and Sale of Immovable Property) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Act" means the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "immovable property" means as defined in the Transfer of Property Act, 1882 (4 of 1882);

(d) words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meaning assigned to them in the Act.

3. Commencement of proceeding of sale.—Where an immovable property has been attached by an order under section 94-A of the Act, the Executive Officer shall, on expiry of fifteen days from the date of attachment proceed to dispose of the immovable property so attached by sale.

4. Sale to be by public auction.—Every sale of immovable property attached or sufficient protion thereof (if it is divisable) if the same can be conveniently served shall be made by public auction by order of the Executive Officer. The decision whether an immovable property can be conveniently served shall be made by the Executive Officer with the prior approval of the Board.

5. Notice of sale.—(1) A notice of every intended sale by public auction under these rules shall be published in such registered newspapers in circulation in the local areas, and as often as the Executive Officer shall direct, having regard to the nature and value of the property to be sold.

(2) The notice shall specify the date, time and place of sale and shall contain a description and particulars of the property.

6. Conditions of sale.—The Executive Officer shall fix a reserved bidding which shall not be divulged to any person either before, at or after the sale. Every sale shall be regulated by conditions which shall generally conform to those specified in Form 1. Any deviation therefrom shall be determined by the Board and duly approval by the Director. A copy of the notice and conditions of sale as specified in Form shall be fixed on a conspicuous part of the property and upon a conspicuous part of the office of the Cantonment Board and also, when the property is land paying revenue to the Government, in the office of the Collector of the district in which the land is situate and at such other places as the Board may direct.

7. Postponement of sale.—If there be no bid or the highest bid be below the reserved price, the Executive Officer shall postpone the sale.

8. Deposit to be made forthwith.—If the amount to be deposited be not a once paid to or deposited with the Executive Officer, the bid of the person, who would otherwise have been declared to be the purchaser, shall be rejected and the property shall immediately be again put up for sale.

9. When bid less than the reserved price can be accepted.—The Executive Officer may, for reasons to be recorded in writing, and subject to the prior approval of the Director accept a bid for less than the reserved price.

10. Application of sale proceeds.—The Executive Officer shall apply the proceeds of sale or such part thereof as shall be required in discharge of the sum due and of the costs of recovery. The fees if any, for the sale and attachment of immovable property shall also be included in the costs of recovery.

11. Surplus amount how to be refunded.—The surplus, if any, shall be forthwith credited to the Cantonment Fund and the same be claimed by written application to the Executive Officer within six months from the date of sale and the refund thereof shall be made to the person in possession of the property at the time of the attachment and any surplus not claimed within six months as aforesaid shall be the property of the Board.

12. Suspension of warrant.—The Executive Officer may suspend or cancel the warrant where he is satisfied that such suspension is warranted by the circumstances of the case or where the sum due and the costs of recovery have been paid by the defaulter as prescribed in section 94-A (4) of the Act.

13. Eviction from the property sold.—The Executive Officer may cause the eviction of any person who obstructs any action taken in pursuance of sub-section (5) of section 94-A of the Act from the immovable property by any police officer and may also use such force as is reasonably necessary to effect entry on the said property.

14. Fee to be charged.—For every warrant issued or attachment made, fees shall be charged at such rates not less than Rs. 500 and not more than Rs. 1,000 as the Board may, from time to time, specify with the sar of the Central Government and such fees shall be inc in the costs of recovery.

15. Remission of fee.—The Board may, in its discre remit the whole or part of any fee chargeable under 14.

16. Manner of preferring claim over property.—A pe other than the person liable for the payment of any who has any claim in respect of a property attachment prefer a claim in writing to the Executive Officer.

17. Suspension of execution.—The Executive Officer sl on receipt of the claim suspend the exectuion of the war pending enquiry into the claim.

18. Manner of settlement.—(1) The Executive Officer sl furnish a copy of the claim to the person liable for payment of any tax and at the same time give written not calling upon him to submit his reply, if any, within sev days of service of such notice.

(2) The Executive Officer shall, on receipt of the rep if any, and after giving both the parties an opportunity being heard pass an order with regard to the claim whi shall be final.

(3) At a hearing, the parties may represent in person through a counsel.

(4) If the claim is allowed by the Executive Officer th sale proceedings shall be subject to the or passed by hin provided that the Executive Officer may, in his discretion release the property from attachment instead of proceedin with the sale.

(5) If the Executive Officer rejects the claim, he shall proceed with the sale of the immovable property as provided for in the Act and under these rules.

(6) Nothing in the order of the Executive Officer accepting a claim shall be deemed to confer on the claimant any right, title or interest in the immovable property attached.

FORM NO. 1

Conditions of Sale of Immovable Property

1. The property shall be put up for sale at a sum to be fixed by the Executive Officer at the time of sale. The highest bidder shall be the purchaser. If any dispute arises as to the last or highest bidding for the property, the said shall be put up again at a former bidding and re-sold.

2. No person shall at any bidding advance a less sum than shall be fixed by the Executive Officer or retract a bid.

3. The sale is subject to a reserved bidding which will be fixed by the Executive Officer.

4. The purchaser shall at the time of sale subscribe his name and address to his bidding in the Bidding Paper and all written notices and communications shall be deemed duly delivered to and served upon the purchaser by being left for him at such address unless or until he is represented by an Attorney or Advocate.

5. The purchaser shall at the time of sale pay a deposit of twenty-five per cent on the amount of his purchase money to the Executive Officer otherwise the property shall be again immediately put up and resold.

6. The purchaser shall pay the amount of his purchase money (after deducting the amount paid as a deposit) to the Executive Officer within one calender month from the day of sale. If the same be not so paid, then the purchaser shall pay interest on his purchase money at the rate of six per cent per annum from the end of one calendar month from the day of sale (or such longer period as may be allowed) to the day on which the same is actually paid.

7. Upon payment of the purchase money in the manner aforesaid, the purchaser shall be entitled to possession of (such parts of) the property (as are vacant) and to the rents and profits of such parts as are let as from the day of such payment.

8. The purchaser shall not be liable to pay and outgoings previous to the day of payment of the purchase money and rents and outgoings, shall be apportioned between the purchaser and the Executive Officer, if necessary. On the purchaser money for the property being paid the purchaser shall at his own expense take such steps as may be necessary for the purchase of obtaining possession of the said property and the Executive Officer shall grant him a certificate to the effect that he has purchased the property to which the certificate relates. The stamp duty and registration fee on such certificate shall be borne by the purchaser.

9. The description of the property is believed to be correct and shall be taken as correct. If any error or misstatement or omission shall appear to have been made in the particulars or description of the property, such error or mis-statement or omission shall not annul the sale nor entitle the purchaser to be discharged from his purchase, nor shall any compensation be made to be purchase in respect thereof.

10. Property taxes in respect of the said property are a first charges on the said property subject to the prior payment of the land revenue, if any, due to the State Government.

11. The purchaser shall not require the production of or investigate into or make any objection or suggestion in respect of the title of the property put up for sale but shall assume that the owner of the property had then good right and title to the said property.

12. The property is sold subject to existing tenancies and to all rights and easements, if any, affecting the same and subject to all notices of any kind relating to the said property. The Executive Officer is not aware of any such right or easement affecting the said property.

13. The said property shall be at the risk as to fire or otherwise of the purchaser from the moment the same is knocked down to him.

14. If the purchaser shall not pay his purchase money at the time above specified or at other time which may be fixed by the Executive Officer, the amount paid as a deposit shall be forefeited to the Board and the Executive Officer shall be at liberty to re-sell the property.

FORM NO. 2

(Form of Bidding Paper)

Re : Auction sale of the property bearing—————
Ward No.—————
Street No.—————
Situate at—————
—————

I, whose name is hereunder subscribed bid at the sale by auction on the .... day of .... one thousand nine hundred and...................... the sum set opposite to my name for, and became the purchaser of the above property specified in the notification of such sale, subject to the conditions produced at such sale :—

Amount of highest bidding	Amount of deposit received	Amount remaining due	Signature of the purchaser	Purchaser's address and description
1	2	3	4	5

[File No. 53|9|C|L&C|84|35|12|D(Q&C)|86]
KARTAR SINGH, Under Secy.